121/C दावा 88, 188/2 T.N.C

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/2/18	वकील उभयपक्ष उप0/श्रीमान P.O. साहब H.C जयपुर पधारे है। पत्रावली आगे दिनांक 16/4/18 को पेश हो।	सुरेश कुमार
16/4/18	वकील उभयपक्ष उप0/श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 4/5/18 को पेश हो।	
4/5/18	पत्रावली हस्तान्तरण आदेश अन्तर्गत मोटर यानों अधिनियम से पेश हुई, पत्रावली इस न्यायालय में सन्दर्भ 2009 से लम्बित है। जिससे जाहिर होता है कि वकील वादी, वादी पक्ष से खफा नहीं रखते। अतः दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रफा दफा करावे।	F.D.

(रुपेश विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)